राजस्व लोक अदालत – 2015 कैम्प – उमरलाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा पीठासनअधिकारी श्री उदयभानू चारण आर.एएस.

मुकदमा नंबर 111/2013

प्रार्थी

बनाम

केशनराम पुत्र बगाराम नाई ,जानियाना

विप्रार्थी

1.टीकमाराम पुत्र भूराराम मेगवाल
2.बागाराम पुत्र भूराराम मेगवाल
3 रम्भोदवी पत्नि भूराराम मेगवाल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

आदेश

दिनांक :–02.06.2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प उमरलाई मे पेश हुई । पक्षकारान उपस्थित । प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,की सरहद मौजा जानियाना पटवार क्षेत्र जानियाना के खसरा संख्या 209 स्थित है। जिसके कटाण रास्ता से प्रार्थी की कृषि भूमि के बीच विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं. 207 आई हुई है। नजरी नक्शा मे दर्शाये मार्क ए से बी लाल रंग के रास्ता चौडा 20 फीट सरहद मौजा जानियाना के कटाण रास्ता से प्रार्थी के कृषि भूमि में आवागमन हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु घोषित करवाना चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर इस कार्यालय के पत्रांक/राज/वाद/2014/924 दिनांक 27.5.2015 द्वारा तहसीलदार पचपदरा से रिपोर्ट तलब की गई एवं जाहिर किया है कि मौजा जानियाना के खसरा नंबर 207 रकबा 41.11 बीगा भूमि विप्रार्थी टीकमाराम वगैरहा के नाम से दर्ज है उक्त भूमि मे से आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल रकबा 0.03 बिस्वा बनता है। रिपोर्ट अनुसार ग्रेवल सडक के नजदीक नेख्स नंबर 27 के पास खसरा नंबर 207 की दक्षिणी माठ पर लम्बाई करीब 14 गट्टा व चौडाई तीन गट्टा का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी के नजदीक है। सेढे पर रास्ता देने पर विप्रार्थीगण के जमीन के दो टुकडो मे विभक्त नही होती है मौके पर रास्ता नही है, मगर पंगडडी प्रस्तावित स्थल के पास है, रास्ता नजरी नक्शा मे दर्शाया गया है। वर्ष 2015 की डीएलसी के अनुसार ग्राम जानियाना असिंचित रोड से दर 18700/–रूपये प्रतिबीधा है,सिंचित दर 37400/: प्रतिबीगा है। प्रार्थी को रास्ता चाहिए। मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण विप्रार्थीगण एवं ग्रामीणों से पूछताछ करने पर विप्रार्थीगण ने रास्ता देने पर असहमति जताई।

(उदयभानु चारण)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, व अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजाताओं का अवलोकन से यह जाहिर होता है, कि विप्रार्थीगण सरहद मौजा जानियाना के खसरा नंबर 207 रकबा 41.11 बीगा भूमि मे से 20 फीट चौडा जो लम्बाई करीब 14 गट्टा व चौडाई 3 गट्टा है पर रास्ता दियें जाने की बात को अस्वीकार करता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्राम जानियाना मे खसरा नंबर 207 मे बिन्दु अ से. 'ब ' अनुसार प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया था लेकिन खातेदारान द्वारा असहमति जताई है। तथा मार्क बिन्दु ए से बी अनुसार खातेदारान ने रास्ते देने की असहमति दी है जिसका कुल रकबा 0.03 बिस्वा बनता है। तथा उक्त भूमि को वर्तमान डीएलसी पर 18700/– रूपये प्रति बीधा है।

अनवान प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये व तहसीलदार द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 0.03 बीगा खसरा नंबर 207 मे से नया रास्ता हेतु राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी से नजरी नक्शा अनुसार मार्क बिन्दु ए से बी तक रास्ता हेतु उपयोग लेने की स्वीकृति देना उचित है। इस पर 0.03 बिस्वा भूमि का मुआवजा धारा 251 ए आरटीए के तहत नये नियमो के अनुसार डीएलसी रेट का दुगना देने का प्रावधान होने से प्रतिबीघा डीएलसी रेट 18700/– रूपया का दुगना के हिसाब से 5610/– रूपये अक्षरे रूपये पॉच हजार छः सौ दस रूपये मात्र बनते है। जो प्राथी से वसूल कर विप्रार्थी खातेदार को दिलाया जाना उचित है। रास्ते की भूमि खसरा नंबर 207 मे से 0.03 बिस्वा भूमि नजरी नक्शानुसार राजस्व रेकार्ड मे भूमि रास्ते के उपयोग हेतु तरमीम के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा नजरी नक्शा अनुसार व आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद करे प्रार्थी मुआवजा की राशि रूपये 5610/– अक्षरे रूपये पॉच हजार छः सौ दस मात्र विप्रार्थी को अदा करे या तहसीलदार पचपदरा के राज्यकोष मे जमा कर

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम जानियाना मे खसरा नंबर 207 मे नजरी नक्शा अनुसार मार्क बिन्दु"ए"से बी(लम्बाई14 गट्टा व चौडाई 3 गट्टा) मे 20 फीट चौडाई का नया रास्ता घोषित किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(उदयभान चारण)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

(उदयभान चारण)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत–2015
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
बालोतरा केम्प

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत–2015 बालोतरा

Scanned by CamScanner